झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधि॰ सं॰— SUDA/AMRUT(DLRMC)-09/2015.......5203(न॰वि॰)....... **राँची, दिनांक—**.......19/09/16.......

शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा— अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिला स्तर पर अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु 'जिला स्तरीय सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति' (District Level Advisory & Monitoring Committee) का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा :—

1.	संबंधित जिले के लोक सभा सदस्य — शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त मार्गदर्शिका के पारा 5 के अनुसार (परिशिष्ट—क पर अवलोकनीय)	—	अध्यक्ष
2.	संबंधित जिले के लोक सभा सदस्य — शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त मार्गदर्शिका के पारा 5 के अनुसार (परिशिष्ट—क पर अवलोकनीय)	—	उपाध्यक्ष
3.	राज्य के राज्य सभा सदस्य	—	उपाध्यक्ष
4.	संबंधित जिले के विधान सभा सदस्य	—	सदस्य
5.	संबंधित निकाय के महापौर/अध्यक्ष	—	सदस्य
6.	संबंधित क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (यदि हो) के अध्यक्ष	—	सदस्य
7.	संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी	—	सदस्य
8.	संबंधित क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (यदि हो) के प्रबंध निदेशक/उपाध्यक्ष	—	सदस्य
9.	राज्य मिशन निदेशालय के प्रतिनिधि	—	सदस्य
10.	संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	—	सदस्य
11.	समिति के द्वारा नामित सदस्य — शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त मार्गदर्शिका के पारा 4(f) के अनुसार	—	सदस्य
12.	संबंधित जिले के उपायुक्त	—	सदस्य—सचिव

2. उक्त समिति के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे :—

a) शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं का अनुश्रवण एवं समीक्षा करना।

b) सेवा स्तरीय संसूचक के आधार पर योजना प्रगति की प्रत्येक निकाय एवं जिला स्तर पर समीक्षा करना।

c) परियोजना के अन्तर विभागीय संसाधनों के अभिसरण (Inter Sectoral Convergence of Resource) को प्रोत्साहित करना।

d) सुधार कार्यक्रमों विशेषतः ई—गवर्नेंस तथा Ease of Doing Business के परिपालन के प्रगति की समीक्षा करना।

e) योजना के क्रियान्वयन में आने वाली अवरोधों से राज्य एवं केन्द्र सरकार को अवगत कराना।

f) योजनाओं के प्रभावकारी एवं सहज क्रियान्वयन हेतु केन्द्र, राज्य एवं निकायों स्तर पर समन्वय स्थापित करना।

g) परियोजना स्थल का भ्रमण कर लाभार्थियों को योजना के लाभ, उसके प्रभाव एवं प्रगति से अवगत कराना।

h) नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना।

i) मार्गदर्शिका में उल्लेखित योजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्य।

3. उक्त समिति की कार्य पद्धति निम्नलिखित प्रकार से होगी :—

a) 'जिला स्तरीय सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति' की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार आहूत होना आवश्यक होगा। बैठक की सूचना से सभी सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व अवगत कराया जायेगा।

b) सदस्य—सचिव के द्वारा अध्यक्ष के साथ बैठक के एजेंडा इत्यादि पर विमर्श कर बैठक आयोजित की जा सकेगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में सदस्य—सचिव के द्वारा अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित कर बैठक आहूत की जा सकेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष के द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थित रहने पर उपस्थित सदस्यों के द्वारा बैठक का अध्यक्ष चुना जायेगा।

c) बैठक आयोजन से संबंधित व्यय का वहन अमृत योजना अंतर्गत A&OE मद में उपबंधित राशि से भी किया जा सकता है।

d) इन बैठकों में शामिल होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी सदस्य को देय नहीं होगा।

e) इन बैठकों की कार्यवाही संबंधित निकाय के वेबसाईट पर उपलब्ध करना तथा राज्य सरकार को इसका अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

4. उक्त योजनाओं हेतु पूर्व में गठित सभी जिला स्तरीय सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति के गठन से संबंधित सभी अधिसूचनायें इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

5. उक्त योजनाओं से संबंधित पूर्व में गठित सभी समितियों को तत्काल प्रभाव से विघटित किया जाता है।

6. सुलभ प्रसंग हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध मार्गदर्शिका की छायाप्रति संलग्न।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अनुलग्नक— यथोक्त।

17.9.16

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

अधि॰ सं॰— SUDA/AMRUT(DLRMC)-09/2015.....5203 (न॰वि॰)...... **राँची, दिनांक—** ...19/09/16

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.9.16

सरकार के प्रधान सचिव।

अधि॰ सं॰— SUDA/AMRUT(DLRMC)-09/2015.....5203 (अनु॰)...... **राँची, दिनांक—** ...19/09/16

प्रतिलिपिः— माननीय सभी सदस्य/सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.9.16

सरकार के प्रधान सचिव।

अधि॰ सं॰— SUDA/AMRUT(DLRMC)-09/2015.....5203 (अनु॰)...... **राँची, दिनांक—** ...19/09/16

प्रतिलिपिः— श्री सुनील कुमार पाल, अवर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय (LSG Division), निर्माण भवन, नई दिल्ली, टेलीफैक्स : 011—23061072, ई—मेल : uslsg-mud@gov.in को सूचनार्थ प्रेषित।

17.9.16

सरकार के प्रधान सचिव।

Member of Parliament (13th Lok Sabha) Nominated as Chairman/Co-Chairman to the District Level Advisory and Monitoring Committee (DLAMC)

District	Member of Parliament	Chairman/Co-Chairman
Bokaro	Shri Ravindra Kumar Pandey	Chairman
	Shri Pasupati Nath Singh	Co-Chairman
Chatra	Shri Sunil Kumar Singh	Chairman
Deoghar	Shri Nishikant Dubey	Chairman
	Shri Shibu Soren	Co-Chairman
Dhanbad	Shri Pasupati Nath Singh	Chairman
	Shri Ravindra Kumar Pandey	Co-Chairman
Dumka	Shri Shibu Soren	Chairman
	Shri Vijay Kumar Hansdak	Co-Chairman
	Shri Nishikant Dubey	Co-Chairman
Garhwa	Shri Vishnu Dayal Ram	Chairman
Giridih	Shri Ravindra Kumar Pandey	Chairman
	Dr. Ravindra Kumar Ray	Co-Chairman
Godda	Shri Nishikant Dubey	Chairman
	Shri Vijay Kumar Hansdak	Co-Chairman
Gumla	Shri Sudarshan Bhagat	Chairman
	Shri Kariya Munda	Co-Chairman
Hazaribagh	Shri Jayant Sinha	Chairman
	Dr. Ravindra Kumar Ray	Co-Chairman
Jamshedpur (East Singhbhum)	Shri Bidyut Baran Mahato	Chairman
Jamtara	Shri Shibu Soren	Chairman
Koderma	Dr. Ravindra Kumar Ray	Chairman
Khunti	Shri Kariya Munda	Chairman
Latehar	Shri Sunil Kumar Singh	Chairman
Lohardaga	Shri Sudarshan Bhagat	Chairman
Pakur	Shri Vijay Kumar Hansdak	Chairman
Ramgarh	Shri Jayant Sinha	Chairman
Palamu	Shri Vishnu Dayal Ram	Chairman
	Shri Sunil Kumar Singh	Co-Chairman
West Singhbhum	Shri Laxman Giluwa	Chairman
	Shri Kariya Munda	Co-Chairman
Ranchi	Shri Ram Tahal Choudhary	Chairman
	Shri Kariya Munda	Co-Chairman
	Shri Sudarshan Bhagat	Co-Chairman
Sahibgunj	Shri Vijay Kumar Hansdak	Chairman
Sariakela (Kharsawan)	Shri Kariya Munda	Chairman
	Shri Ram Tahal Choudhary	Co-Chairman
	Shri Laxman Giluwa	Co-Chairman
Simdega	Shri Kariya Munda	Chairman